

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर**  
पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)

वाद सं० : 297 सन 2021

अनवान :-

1. मदनलाल पुत्र धेरुराम जाति जोशी निवासी जसाना तहसील नोहर ।

वादी

**बनाम**

1. जिराज पुत्र धेरुराम जाति जोशी निवासी जसाना तहसील नोहर ।
2. रामकुमार पुत्र धेरुराम जाति जोशी निवासी जसाना तहसील नोहर ।
3. महेन्द्रसिंह पुत्र धेरुराम जाति जोशी निवासी जसाना तहसील नोहर ।
4. सन्तोष पुत्री धेरुराम जाति जोशी निवासी जसाना तहसील नोहर ।
5. सरोज पुत्री धेरुराम जाति जोशी निवासी जसाना तहसील नोहर ।
6. द्रोपती पुत्री धेरुराम जाति जोशी निवासी जसाना तहसील नोहर ।
7. राजवीरसिंह पुत्र चम्पा पुत्री धेरुराम जाति जोशी निवासी जसाना तहसील नोहर ।
8. लालचन्द पुत्र चम्पा पुत्री धेरुराम जाति जोशी निवासी जसाना तहसील नोहर ।
9. ताराचन्द पुत्र चम्पा पुत्री धेरुराम जाति जोशी निवासी जसाना तहसील नोहर ।
10. जगदीश पुत्र चम्पा पुत्री धेरुराम जाति जोशी निवासी जसाना तहसील नोहर ।
11. कृष्णा पुत्री चम्पा पुत्री धेरुराम जाति जोशी निवासी जसाना तहसील नोहर ।
12. मोतीलाल पुत्र राजबाला पुत्री धेरुराम जाति जोशी निवासी जसाना तहसील नोहर ।
13. धर्मवीर पुत्र राजबाला पुत्री धेरुराम जाति जोशी निवासी जसाना तहसील नोहर ।
14. ताराचन्द पुत्र राजबाला पुत्री धेरुराम जाति जोशी निवासी जसाना तहसील नोहर ।
15. दयाराम पुत्र राजबाला पुत्री धेरुराम जाति जोशी निवासी जसाना तहसील नोहर ।
16. भालाराम उर्फ रमेश पुत्र बिमला देवी पुत्री धेरुराम जाति जोशी निवासी जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।
17. इन्द्रा उर्फ इन्द्र बाला पुत्री बिमला देवी पुत्री धेरुराम जाति जोशी निवासी जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।
18. रानी पुत्री बिमला देवी पुत्री धेरुराम जाति जोशी निवासी जसाना तहसील नोहर ।
19. सुरेन्द्र पुत्र चम्पा पुत्री धेरुराम जाति जोशी निवासी जसाना तहसील नोहर ।
20. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री राजकुमार बैनीवाल अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 22/09/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा चक 12 केएनएन के खाता संख्या 22/21 की कुल 1.5180हैक् तथा रोही मौजा चक 12 केएनएन के खाता संख्या 23/22 की कुल 12.1440हैक् मे से 1/ भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है। हिस्सा व रोही मौजा चक 22 जेएसएन के खाता संख्या 26/26 की कुल 6.2490हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे धेरुराम वल्द गोपाल के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में धेरुराम वल्द गोपाल के नाम से दर्ज है जो वादी का पिता है धेरुराम वल्द गोपाल का देहान्त हो चुका है धेरुराम वल्द गोपाल के जायज वारिसान उसके पुत्र/पुत्रीया/मृतक पुत्रीयों के पुत्र/पुत्रीया है धेरुराम वल्द गोपाल के वारिसान में से उसकी दो पुत्रीया चम्पा , बिमला , एवं चम्पा की पुत्री राजबाला का देहान्त हो चुका है अर्थात धेरुराम वल्द गोपाल के जायज जीवित वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 19 है जो धेरुराम वल्द गोपाल के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 ,19 वादी की बहने एवं प्रतिवादी संख्या 7 ता 11 वादी की बहन चम्पा के वारिस है एवं प्रतिवादी संख्या 12 ता 13 वादी की बहन चम्पा की पुत्री राजबाला के पुत्र है एवं प्रतिवादी संख्या 14 ता 18 वादी की बहन बिमला के वारिस है प्रतिवादी संख्या 4 ता 19 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में किया जा चुका

  
अधिकारी  
नोहर

है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का बराबर का हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की घेरुराम वल्द गोपाल जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 19 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि वादी के पिता घेरुराम पुत्र गोपाल के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसका देहान्त हो चुका है घेरुराम पुत्र गोपाल के जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 19 है जो वाद भूमि के हकदार है तथा प्रतिवादी संख्या 4 ता 19 ने निवेदन किया की उन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाईयो/मामा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 20 परोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 12 केएनएन के खाता संख्या 22/21 की कुल 1.5180हैक तथा रोही मौजा चक 12 केएनएन के खाता संख्या 23/22 की कुल 12.1440हैक में से 1/ भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है। हिस्सा व रोही मौजा चक 22 जेएसएन के खाता संख्या 26/26 की कुल 6.2490हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में घेरुराम वल्द गोपाल के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में घेरुराम वल्द गोपाल के नाम से दर्ज है जो वादी का पिता है घेरुराम वल्द गोपाल का देहान्त हो चुका है घेरुराम वल्द गोपाल के जायज वारिसान उसके पुत्र/पुत्रीया/मृतक पुत्रीयो के पुत्र/पुत्रीया है घेरुराम वल्द गोपाल के वारिसान में से उसकी दो पुत्रीया चम्पा, बिमला, एवं चम्पा की पुत्री राजबाला का देहान्त हो चुका है अर्थात घेरुराम वल्द गोपाल के जायज जीवित वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 19 है जो घेरुराम वल्द गोपाल के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 4 ता 6, 19 वादी की बहने एवं प्रतिवादी संख्या 7 ता 11 वादी की बहन चम्पा के वारिस है एवं प्रतिवादी संख्या 12 ता 13 वादी की बहन चम्पा की पुत्री राजबाला के पुत्र है एवं प्रतिवादी संख्या 14 ता 18 वादी की बहन बिमला के वारिस है प्रतिवादी संख्या 4 ता 19 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का बराबर का हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 20 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 12 केएनएन के खाता संख्या 22/21 की कुल 1.5180हैक तथा रोही मौजा चक 12 केएनएन के खाता संख्या 23/22 की कुल 12.1440हैक में से 1/2 भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है। हिस्सा व रोही मौजा चक 22 जेएसएन के खाता संख्या 26/26 की कुल 6.2490हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में घेरूराम वल्द गोपाल के नाम से दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि उसके पिता घेरूराम वल्द गोपाल के नाम से दर्ज है जिनका देहान्त हो चुका है घेरूराम वल्द गोपाल के जायज जीवित वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 19 है वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 19 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 19 के हक हिस्सा की भूमि है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 4 ता 19 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 4 ता 19 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते हैं के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 4 ता 19 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 19 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 12 केएनएन के खाता संख्या 22/21 की कुल 1.5180हैक तथा रोही मौजा चक 12 केएनएन के खाता संख्या 23/22 की कुल 12.1440हैक में से 1/2 भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता के नाम से दर्ज है। हिस्सा व रोही मौजा चक 22 जेएसएन के खाता संख्या 26/26 की कुल 6.2490हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में घेरूराम वल्द गोपाल के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25/9/21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
उपखण्ड अधिकारी  
नोहर ( हनुमानगढ़ )  
नोहर

## पर्चा डिक्री

( आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी )

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. मदनलाल पुत्र घेरुराम जाति जोशी निवासी जसाना तहसील नोहर ।

वादी

बनाम

1. जिराज पुत्र घेरुराम जाति जोशी निवासी जसाना तहसील नोहर ।
2. रामकुमार पुत्र घेरुराम जाति जोशी निवासी जसाना तहसील नोहर ।
3. महेन्द्रसिंह पुत्र घेरुराम जाति जोशी निवासी जसाना तहसील नोहर ।
4. सन्तोष पुत्री घेरुराम जाति जोशी निवासी जसाना तहसील नोहर ।
5. सरोज पुत्री घेरुराम जाति जोशी निवासी जसाना तहसील नोहर ।
6. द्रोपती पुत्री घेरुराम जाति जोशी निवासी जसाना तहसील नोहर ।
7. राजवीरसिंह पुत्र चम्पा पुत्री घेरुराम जाति जोशी निवासी जसाना तहसील नोहर ।
8. लालचन्द पुत्र चम्पा पुत्री घेरुराम जाति जोशी निवासी जसाना तहसील नोहर ।
9. ताराचन्द पुत्र चम्पा पुत्री घेरुराम जाति जोशी निवासी जसाना तहसील नोहर ।
10. जगदीश पुत्र चम्पा पुत्री घेरुराम जाति जोशी निवासी जसाना तहसील नोहर ।
11. कृष्णा पुत्री चम्पा पुत्री घेरुराम जाति जोशी निवासी जसाना तहसील नोहर ।
12. मोतीलाल पुत्र राजबाला पुत्री घेरुराम जाति जोशी निवासी जसाना तहसील नोहर ।
13. धर्मवीर पुत्र राजबाला पुत्री घेरुराम जाति जोशी निवासी जसाना तहसील नोहर ।
14. ताराचन्द पुत्र राजबाला पुत्री घेरुराम जाति जोशी निवासी जसाना तहसील नोहर ।
15. दयाराम पुत्र राजबाला पुत्री घेरुराम जाति जोशी निवासी जसाना तहसील नोहर ।
16. भालाराम उर्फ रमेश पुत्र बिमला देवी पुत्री घेरुराम जाति जोशी निवासी जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।
17. इन्द्रा उर्फ इन्द्र बाला पुत्री बिमला देवी पुत्री घेरुराम जाति जोशी निवासी जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।
18. रानी पुत्री बिमला देवी पुत्री घेरुराम जाति जोशी निवासी जसाना तहसील नोहर ।
19. सुरेन्द्र पुत्र चम्पा पुत्री घेरुराम जाति जोशी निवासी जसाना तहसील नोहर ।
20. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 297 सन 2021 निर्णय दिनांक- २२/९/२१

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व ) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 12 केएनएन के खाता संख्या 22/21 की कुल 1.5180हैक् तथा रोही मौजा चक 12 केएनएन के खाता संख्या 23/22 की कुल 12.1440हैक् मे से 1/2 हिस्सा भूमि व रोही मौजा चक 22 जेएसएन के खाता संख्या 26/26 की कुल 6.2490हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे वादी के पिता घेरुराम वल्द गोपाल के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक २२/९/२१ को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
नोहर ( हनुमानगढ )